संख्या-93 /2021/2096/26-3-2021

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 30 जुलाई 2021

विषयः **मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् थारू एवं अन्य जनजाति के छात्र/छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2021-22 में छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-117/ज0जा0वि0/पू0दश0छात्रवृत्ति/2021-21, दिनांक-30.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2021-22 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् थारू एवं अन्य जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2021-22 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत पूर्वदशम कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् थारू एवं अन्य जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु निम्नानुसार समय-सारिणी निर्गत की जाती है:-

क्रम सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	निर्धारित समयावधि कक्षा 1 से 8 तक हेतु
	मास्टर डाटा के सम्बन्ध में	
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों का मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये आन–लाईन आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष समस्त प्रपत्र प्रस्तुत करना, जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) द्वारा मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचना भरकर/अपलोड कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	02,अगस्त,2021 से 15अगस्त,2021 तक
2	सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा समस्त विद्यालयों में स्वीकृत सीटो की संख्या को शत प्रतिशत आन लाईन सत्यापित करना।	16,अगस्त,2021 से 08,सितम्बर,2021 तक
	कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 तक के छात्र/छात्राओं हेतु आनलाईन आवेदन के सम्बन्ध में।	
3	थारू एवं अन्य जनजाति श्रेणी के पूर्वदषम छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक (कक्षा 1–5 एवं कक्षा 6–8) के छात्र–छात्राओं का योजनान्तर्गत आवेदन विद्यालय स्तर पर नामित नोडल अध्यापक के माध्यम से किया जाना।	02,अगस्त,2021 से 23,अगस्त,2021 तक
4	विद्यालय स्तर पर नामित नोडल अध्यापक के माध्यम से आन लाईन किये गये आवेदन में हुई त्रुटियों (आय, जाति प्रमाण पत्र तथा आवेदन का क्रमांक) को राश्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्षन में प्रदर्शित किया जाना।	आनलाईन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्टआउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
5	विद्यालय स्तर पर नामित नोडल अध्यापक द्वारा आन–लाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी समस्त वांछित संलग्नों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	आनलाईन आवेदन पूर्ण करने के 04 दिन के अन्दर विलम्बतम 27,अगस्त,2021 तक
6	विद्यालय स्तर पर नामित नोडल अध्यापक द्वारा आन लाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण (जाति,आय प्रमाण पत्र का क्रमाक आदि प्रपत्र) का विद्यालय द्वारा मूल अभिलेखों से मिलान किये जाने के उपरान्त आन लाईन आवेदन पत्र सत्यापित कर जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) को अग्रसारित करना	02,अगस्त,2021 से 31,अगस्त,2021 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

	(नोट–30,जुलाई, से 31,अगस्त,2021 तक विद्यालय से अग्रसारित सही नवीनीकरण के छात्रों को ही 01,अक्टूबर,2021 को भुगतान हेतु डाटा षामिल किया जायेगा)	
7	विद्यालय स्तर पर नामित नोडल अध्यापक द्वारा छात्र–छात्राओं के आवेदन पत्र नवीनीकरण न करने का कारण विद्यालय द्वारा आन–लाईन छात्र के सम्मुख अकिंत किया जाना एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित षिक्षा विभाग के अधिकारी एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर विद्यालयों एवं छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना।	01,सितम्बर,2021 से 01,नवम्बर,2021 तक
8	PFMS साफटवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओ पर परीक्षण किया जाना।	01,सितम्बर,2021 से 10,सितम्बर,2021 तक
9	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्व डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से षुद्व एवं स्वीकृत डाटा को लाक किया जाना।	11,सितम्बर,2021 से 25,सितम्बर,2021 तक
10	सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के डिजिटल हस्ताक्षर से लाक डाटा के आधार पर नवीनीकरण डाटा के सही छात्रों का एन0आई0सी0 की राज्य ईकाइ से मांग सृजित करना।	28,सितम्बर,2021 तक
11	सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्व एवं स्वीकृत लाक डाटा के आधार पर कोषागार के ई–पेमेन्ट के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	**02 अक्टूबर, 2021**
	<u>कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 तक के अवशेष नवीन (Fresh) तथा नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु</u>	
12	थारू एवं अन्य जनजाति श्रेणी के पूर्वदषम छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक (कक्षा 1–5 एवं कक्षा 6–8) के छात्र–छात्राओं का योजनान्तर्गत आवेदन विद्यालय स्तर पर नामित नोडल अध्यापक के माध्यम से किया जाना।	02,अगस्त,2021 से 11,अक्टूबर,2021 तक
13	विद्यालय स्तर पर नामित नोडल अध्यापक द्वारा आन लाईन किये गये आवेदन में हुई त्रुटियों (आय, जाति प्रमाण पत्र तथा आवेदन का कमांक) को राश्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्षन में प्रदर्शित किया जाना।	आनलाईन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्टआउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
14	विद्यालय स्तर पर नामित नोडल अध्यापक द्वारा आन–लाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी समस्त वांछित संलग्नों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	आनलाईन आवेदन पूर्ण करने के 07 दिन के अन्दर विलम्बतम 18,अक्टूबर,2021 तक
15	विद्यालय स्तर पर नामित नोडल अध्यापक द्वारा आन लाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण (जाति,आय प्रमाण पत्र का कंमाक आदि प्रपत्र) का विद्यालय द्वारा मूल अभिलेखों से मिलान किये जाने के उपरान्त आन लाईन आवेदन पत्र सत्यापित कर जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) को अग्रसारित करना	02,अगस्त,2021 से 28,अक्टूबर,2021 तक
16	PFMS साफटवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओ पर परीक्षण किया जाना।	29,अक्टूबर,2021 से 08,नवम्बर,2021 तक
17	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित स्टूडेन्ट सेक्षन एवं विद्यालय के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आन लाईन आवेदन में की गयी त्रुटियों को विद्यालय स्तर पर नामित अध्यापक द्वारा ठीक किया जाना।	09,नवम्बर,2021 से 19,नवम्बर,2021 तक
18	विद्यालय स्तर पर नामित नोडल अध्यापक के माध्यम से आन लाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके शुद्व हार्डकापी समस्त वाछिंत संलग्नों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	आन लाईन आवदेन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् विलम्बतम 22,नवम्बर,2021 तक
19	त्रुटियों को ठीक किये जाने के उपरान्त विद्यालय स्तर पर नामित नोडल अध्यापक द्वारा जमा किये गये शुद्व आवेदन पत्रों	11,नवम्बर,2021 से 25,नवम्बर,2021 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

	का विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके आन लाईन सत्यापित तथा अग्रसारित करना।	
20	नामित नोडल अध्यापक के माध्यम से सही किये गये एवं विद्यालय द्वारा आन लाईन सत्यापित तथा अग्रसारित डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य ईकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	26,नवम्बर,2021 से 06,दिसम्बर,2021 तक
21	जनपदीय छात्रवृत्ति समिति द्वारा शुद्व डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना व पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) द्वारा डिजिटल सिग्नेचर से षुद्व एवं स्वीकृत डाटा को लाक किया जाना।	07,दिसम्बर,2021 से 20,दिसम्बर,2021 तक
22	सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	22,दिसम्बर,2021 तक
23	सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्व एवं स्वीकृत लाक डाटा के आधार पर कोषागार के ई–पेमेन्ट के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	27,दिसम्बर तक

नोटः- उपरोक्त समय-सारणी के अनुसार छात्रवृत्ति वितरण दिवस का समारोह प्रत्येक जनपद में आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में कोविड-19 की स्थिति के दृष्टिगत यथासमय अवगत करा दिया जायेगा।

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2021-22 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत पूर्वदशम कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् थारू एवं अन्य जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-93/2021/2096 (1)/26-3-2021 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, समाज कल्याण, जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0।
2- मुख्यमंत्री घोषणा प्रकोष्ठ, मुख्यमंत्री कार्यालय उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत पूर्वदशम कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् थारू एवं अन्य जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में स्कालरशिप पोर्टल पर यथावश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
8- समस्त सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, जनजाति विकास विभाग, लखनऊ।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in